अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले था, और ऐसी कोई मांग की जाने पर, न्यायालय उस प्रक्रम से विचारण प्रारम्भ करेगा।

(3) शंका के निराकरण के लिए, इसके द्वारा यह उपबंध किया जाता है कि कोई ऐसा न्यायालय,—

(i) जिसके समक्ष किसी ऐसे विचारण में, जिसे उपधारा (1) लागू है, दिए गए किसी निर्णय, किए गए किसी आदेश या पारित किए गए किसी दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले लंबित है, या

(ii) जिसके समक्ष ऐसे किसी विचारण में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले दिए गए किसी निर्णय, किए गए किसी आदेश या पारित किए गए किसी दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् फाइल किया जाता है,

मामले को इस धारा के उपबंधों के अनुरूपतः विचारण के लिए प्रतिप्रेषित करेगा।

1967 का 3 3. (1) भ्रष्टाचार-निरोध विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1967 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

47 | 1551

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

अद्यतन
28-6-85
6-12-13

(1976 का अधिनियम संख्यांक 56)

[8 अप्रैल, 1976]

[1 विनिर्मित बीड़ी] [~~बीड़ी बनाने के लिए दिए गए तम्बाकू~~] पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

1976 का 62 (क) "निधि" से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

1[(ग) ——— निरसित ———]

बीड़ी बनाने के लिए दिए गए तम्बाकू पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण।

2[3. (1) उस तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क, उतने तम्बाकू पर, जितना बीड़ी बनाने से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए किसी भाण्डागार से किसी व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसे तम्बाकू के प्रति किलोग्राम पर एक रुपए से अनधिक ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर नियत करे, उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा। 1976 का 62

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "भाण्डागार" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के अधीन नियत या अनुज्ञप्त कोई स्थान या परिसर अभिप्रेत है। 1944 का 1

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क, तम्बाकू पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय किसी उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।]

3[——— निरसित ———]

शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

4. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क के आगम भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे।

जानकारी मांगने की शक्ति।

5. केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आंकड़ों और कोई अन्य जानकारी दे, जो वह ठीक समझे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

6. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

7. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

4[(क) धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क का निर्धारण और संग्रहण;]

(ख) केन्द्रीय सरकार को या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा आंकड़ों की ऐसी और किसी अन्य जानकारी का दिया जाना जिसके दिए जाने की धारा 5 के अधीन अपेक्षा की जाए,

(ग) कोई अन्य विषय जिन्हें इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित, या उपबन्धित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के

1 1981 के अधि० सं० 47 की धारा 3 द्वारा (1-1-1982 से) अन्तःस्थापित।

ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 90)

[2 सितम्बर, 1976]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 है।

(2) यह 16 जून, 1976 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1974 के अधिनियम 52 का संशोधन।

2. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की (जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 12क की उपधारा (1) में "छह मास" शब्दों के स्थान पर "चौबीस मास" शब्द रखे जाएंगे।

शंकाओं का निराकरण।

3. शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मूल अधिनियम की धारा 12क के अधीन की गई और ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त प्रत्येक घोषणा ऐसे प्रभावी होगी मानो उस धारा में इस अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन 1 जुलाई, 1975 से ही प्रवृत्त रहा हो।

1976 का 6

निरसन और व्यावृत्ति।

4. (1) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

रु० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,
सचिव, भारत सरकार।